FIVE RUPEES पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

192

न्यायालय : राजस्व मण्डल, मध्य–प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /I/2014 निगरानी निग- 1800-I-14

पुजारी–भवानीशंकर पुत्र मदनदास,
गुरू जमुनादास बैरागी,निवासी ग्राम
कुडायथा तह. व जिला श्योपुर म.प्र.
..........निगरानीकर्ता

बनाम

बलराम वैष्णव पुत्र मुरारीदास वैष्णव
निवासी किला श्योपुर म.प्र.
..........गैरनिगरानीकता

NOTARY L.B. CHAUHAN Area Sheopur GOVT. OF M.P.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्रकरण कमांक 06/09–10/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2010 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य

यह कि कस्बा श्योपुर स्थित मंदिर श्री राधावल्लभ जी महाराज बांके कुंज के पुजारी पद पर नियुक्ति किये जाने बावत् विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मुरारी दास द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र.कं. 34/03–04/अ–74 से दिनांक 15.09.04 को पूजारी पद पर नियुक्ति करवाली थी जबकि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर व माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर से भी स्थगन आदेश था। इस बात की जानकारी जब मदनदास को हुई तो उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की जाकर दिनांक 07.09.2006 को मुरारीदास का पुजारी नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व मुरारीदास द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो न्यायालयीन प्र.कं. 08/2006–07/निगरानी पर दर्ज की जाकर विचरण प्रारम्भ

कमंशः............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1800/एक/2014 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 6/2009–10/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2010 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि कस्बा श्योपुर में स्थित मन्दिर श्री राधाबल्लभ जी महाराज बाँके कुँज के पुजारी पद पर नियुक्ति किये जाने बावत् विवाद तब उत्पन्न हुआ जब मुरारीदास द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण क्रमांक 34/03–04/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2004 को पुजारी पद पर नियुक्ति करवा ली, जबकि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर व माननीय राजस्व मण्डल से भी स्थगन आदेश था, इस बात की जानकारी जब मदनदास को हुयी तब उसके द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जाकर दिनांक 07.09.2006 को मुरारीदास का पुजारी नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध मुरारीदास द्वारा	

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 08/2006-07 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 11.03.2010 से निरस्त कर दी गयी। जबकि उक्त मन्दिर से संबंधित एक निगरानी पूर्व से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 167/पॉच/1992 विचाराधीन है, इसके बावजूद अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को गुमराह करते हुए झूठी जानकारी के आधार पर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 06/2009-10/अ-74 से दिनांक 07.07.2010 को पुजारी नियुक्ति का आदेश इस आधार पर करवा लिया कि पुजारी जी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पुजारी मदनदास पुत्र जमुना दास की मृत्यु दिनांक 28.10.2013 को हुयी है बलराम वैष्णव व उसके पिता मुरारीदास वैष्णव द्वारा हमेशा न्यायालय को गुमराह करके झूठी जानकारी के आधार पुजारी नियुक्त हो जाते हैं। मदनदास पुत्र जमुनादास की मृत्यु दिनांक 28.10.2013 को हुयी, मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत उदोतपुरा ग्राम सभा की मीटिंग पश्चात् दिनांक 26.01.2014 को भवानीशंकर पुत्र मदन दास वैष्णव की पुजारी पद पर नियुक्ति कर दी, जब भवानीशंकर को इस बात की जानकारी हुयी कि बलराम पुत्र मुरारीलाल वैष्णव द्वारा गलत जानकारी के आधार पर पुजारी पद पर नियुक्ति करवा ली है, तब उसके द्वारा आदेश की नकल प्राप्त कर वर्तमान निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अनावेदकगण द्वारा तथ्य को छिपाते हुए विवादित आदेश दिनांक 07.07.2010 प्राप्त कर लिया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। पुजारी के जीवित होने के बावजूद भी उसे मृतक बताकर फर्जी तरीके से नियुक्ति करवा ली है। जबकि पुजारी मदनदास की मृत्यु दिनांक 28.10.2013 को हुयी है तथा बलराम का पिता मुरारीदास जो आज दिनांक तक जीवित हैं। इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का स्थगन आदेश है एवं एक अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में जो नियुक्ति आदेश अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा जारी किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अतः में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा उसके विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

5– अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पुजारी नियुक्ति का आदेश जारी

किया है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में पुजारी नियुक्ति की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में नियुक्ति आदेश पारित किये जाने की जो कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा की गयी है, वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पुजारी नियुक्ति के संबंध विधिवत कार्यवाही सम्पादित कर उभयपक्षों सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर देते हुए विधिनुसार आदेश पारित करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य